

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/6090

दिनांक :- 17.09.2020

आदेश संख्या : 175 / 2020-21

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ लेखाकार जिन्हें राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 6(1) के परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ लेखाकार पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी गई थी, का राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कनिष्ठ लेखाकार पद का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वेतन नियमितिकरण/स्थायीकरण किया जाता है-

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार (सर्वश्री)	लिक नम्बर	मेरिट	जन्मतिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	वेतन नियमितिकरण तिथि	स्थायीकरण तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रैना	13125	DGS / 2018	13-March-93	21.05.18	20.05.2020	21.05.2020	21.05.2020

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स के लेवल L-10 में वेतन तथा नियमानुसार भत्ते देय होंगे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/6090
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 17.09.2020

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)